न्यायाधिकारी–ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी	–	**सुमन चौधरी (आर.जे.एस.)**
नियमित आपराधिक प्रकरण सख्या	–	**75/2025**
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या	–	**75/2025**
सी०एन०आर० नंबर	–	**RJJH140003392025**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	**41/2023, गोठड़ा**
अपराध अंतर्गत धारा	–	**143, 323, 506, 171 सी भा०द०स०**

भाग–प्रथम

A

परिवादी	श्री पवन कुमार
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विकास शर्मा
अभियुक्तगण का नाम व पता	**01.** डॉ. राजकुमार शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा, उम्र 50 साल, निवासी बस स्टैण्ड के पास परसरामपुरा, **02.** सुरेश गुर्जर पुत्र श्री महावीर प्रसाद गुर्जर, उम्र 37 साल, निवासी गुर्जरों की ढाणी परसरामपुरा, **03.** मोहम्मद अनवर पुत्र श्री अब्दुल गनी, उम्र 37 साल, **04.** दिलीप कुमार पुत्र श्री साधूराम, उम्र 27 साल, निवासीगण परसरामपुरा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान। **05.** अरूण कुमार पुत्र श्री रामनाथ चाहर, उम्र 32 साल, निवासी चाहरों का बास परसरामपुरा, पुलिस थाना गोठड़ा, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री किशोर कुमार जांगिड़
अधिवक्ता परिवादी	––––––––––

B

अपराध की दिनांक	25–11–2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	26–11–2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	15–07–2025
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	15–07–2025
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	29–07–2025
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	–––––––
निर्णय दिनांक	17–03–2026
दण्डादेश की दिनांक	–––––––

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	डॉ. राजकुमार शर्मा	–––––	–––––	143, 323, 506 , 171 सी भा०द०स०	दोषमुक्त	–––––	––––––––––
02	सुरेश गुर्जर	–––––	–––––	143, 323, 506 , 171 सी भा०द०स०––	दोषमुक्त	–––––	––––––––––
03	मोहम्मद अनवर	–––––	–––––	143, 323, 506 , 171 सी भा०द०स०	दोषमुक्त	–––––	––––––––––
04	दिलीप कुमार	–––––	–––––	143, 323, 506 , 171 सी भा०द०स०	दोषमुक्त	–––––	––––––––––
05	अरूण कुमार	–––––	–––––	143, 323, 506 , 171 सी भा०द०स०	दोषमुक्त	–––––	––––––––––

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	प्रदीप	नक्शा मौका घटनास्थल प्रथम व द्वितीय
पी.डब्ल्यू 2	पवन कुमार	परिवादी
पी.डब्ल्यू 3	शिवनाथ सिंह	नक्शा मौका घटनास्थल प्रथम व द्वितीय
पी.डब्ल्यू 4	आनंद राव	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 5	सुरेंद्र मलिक	ताईद कायमी
पी.डब्ल्यू 6	हरिचरण मीणा	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण

01	प्रदर्श पी.01	नक्शा मौका घटनास्थल प्रथम
02	प्रदर्श पी.02	नक्शा मौका घटनास्थल द्वितीय
03	प्रदर्श पी.03	तहरीरी रिपोर्ट
04	प्रदर्श पी.04	चाक एफआईआर
05	प्रदर्श डी.01	पत्र क्रमांक
06	प्रदर्श डी.02	पूछताछ डॉ. राजकुमार शर्मा
07	प्रदर्श डी.03	सीआईडी रैंज सैल, जयपुर

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

01. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 26.11.2023 को श्री पवन कुमार पुत्र श्री जोरूराम, उम्र 24 साल, निवासी परसरामपुरा पुलिस थाना गोठड़ा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी ग्राम परसरामपुरा का स्थायी निवासी है। प्रार्थी के पास दिनांक 23.11.2023 को लगभग नौ बजे सुबह को अरूण चाहर घर पर आया और धमकी देते हुए कहा कि उसने और उसके परिवार ने राजकुमार शर्मा विधायक को वोट नहीं दिये तो ठीक नहीं रहेगा। प्रार्थी ने उसे समझाया कि प्रजातंत्र में सब अपनी इच्छा से मत का प्रयोग करते हैं, परंतु आसपास के लोगों के समझाने पर चला गया। उसके पश्चात दिनांक 25.11.2023 को वह बाजार लगभग 4.30 पीएम पर पवन महाराज की दुकान पर बैठा था। तभी चार–पांच गाड़ियों में विधायक राजकुमार शर्मा और साथ अरूण चाहर तथा बीस–तीस अन्य लोग आये और विधायक राजकुमार शर्मा ने आते ही चमारड़ा तेरी इतनी औकात की अरूण के समझाने पर भी वोट नहीं दिया। कहते हुए उसके गाल पर थप्पड़ मारा और सभी से वहीं पर खड़े होकर कहा कि इसकी ऐसी तेसी करो। चमार ढेढ़ होकर कहना नहीं मानता है। इतने में सभी उसे लात घुसों से जाति की गालियां निकालते हुए मारपीट करने लगे। जिनमें सुरेश गुर्जर, अनवर तथा दलीप सांई उसे घसीटकर गाड़ी में डालने लगे, परंतु हो हल्ला तथा गांव वाले इक्टठा होने पर सभी गालियां निकालते हुए भाग गए, इत्यादि.....।" उक्त आशय की तहरीर रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर बाद

अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को धारा– 143, 323, 506 , 171 सी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश मौखिक रूप से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–02 पर भाग 'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04. अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, उसके विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया व साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया गया।

05– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

06– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह तर्क प्रस्तुत किये कि अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्त को झूठा फंसाय गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित परिवादी सहित अन्य गवाहान लेसमात्र भी अभियेाजन कहानी का समर्थन नहीं करते है। प्रकरण बढा–चढाकर दर्ज करवाया गया है, जबकि ऐसी कोई घटना घटीत नहीं हुई है। अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

07– बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते है–

1– आया अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर व वोट अभियुक्तगण के पक्ष में देने के आशय से निर्वाचन में अस्मयक असर डालकर दिनांक 25–11–2023 को समय 04.30 बजे सायं या उसके लगभग वाके मौजा पवन महाराज की दुकान परसरामपुरा पर परिवादी पवन कुमार को शारीरिक

पीड़ा कारित करने के आशय या ज्ञान से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, उसको उस दिशा में जिसमें जाने का उसको अधिकार था, स्वेच्छया बाधा डाल जाना निवारित कर सदोष अवरोध किया तथा लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से पवन कुमार के साथ मारपीट, गाली–गलौच कर उनका अपमान किया?

2– यदि हां, तो उसका उचित दण्ड क्या होगा ?

08– प्रकरण में आई साक्ष्य का **विश्लेषण** करने से पहले उसका **क्रमबंधन** करना आवश्यक है। अतः साक्ष्य का विश्लेषण करने से पहले उसे संक्षिप्त में यहां उल्लेखित किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैः–

09– सर्वप्रथम गवाह **पी०डब्ल्यू–01 प्रदीप** प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा घटनास्थल पर नक्शा मौका देखने से इंकार करता है।

10– गवाह **पी०डब्ल्यू–02 पवन कुमार** प्रकरण में आहत गवाह न्यायालय में पेश करने का गवाह है जिसने कथन किया है कि वह पहले गांव में रहता था। अब उसने परसरामपुरा में खेत में नया मकान बना लिया है। दिनांक 23.11.2023 को सुबह 9.15 बजे की बात है। उसके पास अरूण चाहर निवासी चारा का बास आया। उसे बोला कि वह और उसका परिवार राजकुमार शर्मा को वोट देना। उसने बोला उसका वोट है, वह किसी को भी देगा। उसने उसे कहा कि यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा, अगर उसने दूसरे को वोट दे दिया तो। फिर आास पड़ोस के व्यक्तियों और उसके परिवार के लोगों ने उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दिनांक 25.11.2023 को विधानसभा चुनाव के दिन शाम को 04.30 बजे की बात है। वह पवन महानज की दुकान के पास बैठा था। उस समय राजकुमार शर्मा और उसके साथ कुछ लोग चार–पांच गाड़ियां लेकर आये। उनमें राजकुमार शर्मा के अलावा अरूण चाहर, अनवर, दलीप साई, सुरेश गुर्जर ये लोग आये ओर गाड़ी से नीचे उतरे। राजकुमार शर्मा ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसके चांटा मारा और कहा कि दो दिन पहले उसे अरूण चाहर समझाकर गया था, फिर भी वह नहीं समझा। फिर कहा कि डेड चमार तेरी इतनी औकात हो गयी कि वह किसी दूसरे को वोट देगा। राजकुमार शर्मा ने अपने साथियों को कहा कि इस डेड चमार को लात घुसों से मारो। उसके साथ अरूण चाहर, अनवर खान, दलीप साई और सुरेश गुर्जर ने उसके साथ मारपीट की थी। राजकुमार शर्मा ने कहा इसे गाड़ी में डालकर ले चलो। उसके बाद गांव के चार–पांच लोग वहां आ गये और उसका बीच–बचाव किया और फिर वे लोग वहां से चले गये। फिर उसने इस घटना की लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना गोठडा में पेश

की। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने पुलिस ने दिनांक 26.11.2026 को घटनास्थल का नक्शा मौका प्रथम व द्वितीय प्रदर्श क्रमशः पी 01 व पी 02 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। **प्रतिपरीक्षा** में स्वीकार करता है कि उसके घर के अंदर धमकी नहीं दी थी। दिनांक 23.11.2023 को अरूण कुमार द्वारा दी गयी धमकी उसने किसी को नहीं बतायी। उसके परिवार वालों को पता थी। दिनांक 23.11.2023 को उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी। दिनांक 26.11.2023 को रिपोर्ट दी थी। दिनांक 26.11.2023 को जो रिपोर्ट दर्ज करवायी। वह रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 किसने लिखी उसे पता नहीं। लेकिन प्रदर्श पी 03 में वहीं लिखा जो उसने बोला था। वे रिपोर्ट दर्ज कराने 04–05 लोग गये थे। उनमें विनय प्रताप, अजय रणवां, बिजू रणवां ये गये थे। रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति उन तीनों व्यक्ति से अलग था। रिपोर्ट लिखने वाला कौन था, उसे नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट लिखने वाला रिपोर्ट लिखने में एक्सपर्ट था। वह यह भी नहीं जानता कि रिपोर्ट लिखने वाला कहां से आया था। रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति वकील था या कार्यकर्ता था। इसके उसे नहीं पता। दिनांक 25.11.2023 को शाम 04–30 बजे पवन महाजन की दुकान पर पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठा था। पवन महाजन की दुकान का मुंह उत्तर दिशा में है। पवन महाजन दुकान पर अकेल ही बैठा था। यह सही है कि 200 मीटर की दूरी पर पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को वाहन लेकर प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। 200 मीटर की दूरी पर के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा था या नहीं। उसे नहीं पता। उसके मारपीट से कोई चोट नहीं आयी थी। इसलिए उसने उसका मेडिकल नहीं करवाया। वह उन लोगों के बीच में खड़ा था। इसलिए उसे नहीं पता कि वहां पर पुलिस वाले आये या नहीं आये। यह सही है कि उसके साथ मारपीट हुई थी, लेकिन उसके चोट नहीं आयी थी।

11– इसके पश्चात गवाह **पी०डब्ल्यू–03 शिवनाथ सिंह** कथन करता है कि उसने सामने पुलिस ने घटना स्थल का नक्शामौका प्रथम व द्वितीय प्रदर्श क्रमशः पी 01 व पी 02 बनाया था, जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। आगे **प्रतिपरीक्षा** में गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 26.11.2023 को प्रदर्श पी 01 व पी 02 बनाया था। प्रदर्श पी 01 व पी 02 बनाते समय पवन सराफ, पवन मेघवाल, प्रदीप और वह वहां पर थे। उसके सामने प्रर्दश पी 01 व पी 02 पर प्रदीप, पवन और उसने हस्ताक्षर किए थे। जिस दिन नक्शा मौका बनाया था, उस दिन हस्ताक्षर करने के बाद उसने कभी किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किये।

12– इसके पश्चात गवाह **पी०डब्ल्यू–04 आनंद राव** ने दौराने मुख्य परीक्षा गवाह के रूप में

कथन किया है कि उस रोज श्रीमान पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार प्रकरण संख्या 41/23 अपराध अंतर्गत धारा 143, 323, 341, 504 व 506 आईपीसी की पत्रावली वास्ते अग्रिम अनुसंधान के लिए उसे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान उसने घटनास्थल प्रथम व घटना स्थल द्वितीय परिवादी के निशादेही से मौतबीरान के समक्ष तैयार किये। इसके पश्चात सभी गवाहों ने हस्ताक्षर किय। इसके पश्चात उक्त पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु सीआईडी रेंज सेल जयपुर को भिजवाई गयी। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि प्रदर्श पी 02 पर घटनास्थल के आसपास की दुकानदारों के हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श पी 02 पर वक्त घटना एक्स बिंदू पर कितने लोग मौजूद थे ये अंकित नहीं है। प्रदर्श पी 02 में दुकान नंबर 08 खुली थी या बंद थी। यह भी अंकित नहीं है। अजखुद कहा कि उन सभी से नक्शा मौके की कार्यवाही पर हस्ताक्षर के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। यह सही है कि उसके द्वारा नक्शा मौका की कार्यवाही के अलावा उसके द्वारा इस पत्रावली में कोई अनुसंधान नहीं किया गया।

13– इसके पश्चात गवाह **पी०डब्ल्यू–05 सुरेंद्र मलिक** अनुसंधान अधिकारी न्यायालय के समक्ष कथन करता है कि उस रोज प्रार्थी पवन कुमार ने एक लिखित रिपोर्ट जाति सूचक गाली–गलौच व मारपीट करने के संबंध में उसके समक्ष पेश की। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी परिवादी व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। आगे **प्रतिपरीक्षा** में कथन करता है कि एफआईआर कर्ता ने अपना पहचान पत्र पेश नहीं किया। यह सही है कि एफआईआर पर एफआईआर कर्ता के पहचान कर्ता नहीं है। यह सही है कि एफआईआर में घटना दिनांक 23.11.2023 की होना बताया है, जिसके तीन दिन पश्चात एफआईआर थाने में पेश की थी।

14– इसके पश्चात गवाह **पी०डब्ल्यू–06 श्री हरिचरण मीणा** अनुसंधान अधिकारी न्यायालय के समक्ष कथन करता है कि उस रोज एक पत्रावली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा को प्राप्त हुई। उस पत्रावली में पूर्व में अनुसंधान राव आनंद आरपीएक वृत नवलगढ़ द्वारा किया गया था। उसके द्वारा पत्रावली में घटनास्थल प्रथम व घटना स्थल द्वितीय का निरीक्षण किया गया। उसके पश्चात प्रकरण के फरियादी पवन कुमार तथा गवाहान भगवानाराम एवं पवन सराफ के 161 के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर वीडियोग्राफी की गयी। इसके उपरांत प्रकरण में नामजद आरोपीगण राजकुमार शर्मा, सुरेश कुमार, दिलीप सांयी, मौहम्मद अनवर खां व अरूण कु2मार से पूछताछ कर संपूर्ण अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से राजकुमार शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी को परिवादी द्वारा वोट नहीं देने पर थप्पड़ मारना व आरोपीगण द्वारा परिवादी को घसीट कर गाड़ी में डालने व धमकी देने का

अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उक्त सभी मुलजिमान के विरूद्ध धारा 143, 323, 506, 175, 171 सी आईपीसी का अपराध पूर्णतः प्रमाणित मानकर चालानी आदेश हेतु पत्रावली पुलिस मुख्यालय में प्रेषित कर दी। आगे प्रतिपरीक्षा में कथन करता है कि उसके पूर्व तफतीश वृताधिकारी नवलगढ़ श्री आनंद राव जी के पास दिनांक 26.11.2023 से 06.12.2023 तक थी। प्रद्रश डी 01 में पत्र क्रमांक संख्या 1622 दिनांक 23.04.2024 में ए से बी भाग लिखी तारीखों की जानकारी उसे नहीं है। सी से डी भाग क्यों लिखा है उसे जानकारी नहीं है। अजखुद कहा कि सी से डी भाग मुख्यालय झुंझुनूं भेजने बाबत अंकित है। यह कहना सही है कि उसने अनुसंधान में परिवादी पवन कुमार का वोटरआईडी कार्ड प्राप्त नहीं किया व न ही कोई वोटर लिस्ट प्राप्त की। यह सही है कि निर्वाचन सूची में परिवादी पवन कुमार का नाम था या नहीं था। इस बाबत उसने कोई अनुसंधान नहीं किया। यह सही है कि वह नहीं बता सकता कि परिवादी का वोट लगता था या नहीं। यह सही है कि तथाकथित घटना वाले दिन घटनास्थल पर चुनाव विधानसभा के चुनाव थे। यह सही है कि घटनास्थल नियमानुसार बूथ केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर था। यह सही है कि उक्त परिधि में केवल मतदाता जा सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं जा सकता। मतदाता उक्त परिधि में रूक सकता है। यह सही है कि उसने घटनास्थल पर हो रहे मतदान में नियत किसी भी निर्वाचन कर्मचारी व अधिकारी से घटना बाबत कोई अनुसंधान नहीं किया। उक्त 200 मीटर की परिधि में डयूटीरत पुलिस कर्मचारी, निर्वाचन कर्मचारी व अन्य किसी प्रशासनिक कर्मचारी से डयूटी बाबत कोई अनुसंधान नहीं किया। वह नहीं बता सकता कि परिवादी ने मतदान केंद्र पर मत दिया था या नहीं। उसके अनुसंधान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि परिवादी पवन कुमार ने राजकुमार शर्मा को वोट दिया या नहीं दिया। उसके अनुसंधान में परिवादी को गाड़ी में नहीं डाला वो छुड़ा के भाग गया। यह कहना सही है कि उक्त ने उसे परिवादी व अन्य किसी गवाह ने नहीं बताये। उक्त गाड़ी नंबर पूछताछ नोट में आया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श डी 02 में उल्लेखित नाम पवन कासि. व गोरधन लाल कानि. व चालक गंगाराम से घ्ज्ञटना बाबत कोई अनुसंधान नहीं किया। यह कहना सही है कि उक्त धमकी दिए जाने पर परिवादी पवन कुमार के व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। यह सही है कि धमकी दिए जाने के बावजूद भी पवन कुमार न घबराया, न डरा, न उत्तेजित हुआ तथा उसके बरताव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। यह सही है कि पुलिस रिपोर्ट परिवादी पवन कुमार के द्वारा पुलिस को दिए जाने में एक दिन की देरी के बाबत कोई तथ्य नहीं आया है। यह कहना सही है कि उसके अनुसंधान में परिवादी पवन कुमार के द्वारा स्वयं के मतदान के अधिकार का प्रयोग करने

अथवा न करने बाबत किसी के द्वारा कोई हस्तक्षेप, कोई दबाव या कोई प्रलोभन आदि करने का या करने की कोशिश का कोई तथ्य नहीं आया है। यह कहना गलत है कि उसके अनुसंधान में यह नहीं आया हो कि परिवादी को किस आरोपी ने धमकाया हो। किस आरोपी ने थप्पड़ मारा हो।

15– इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि अभियुक्तगण द्वारा आहत के साथ मारपीट की गयी। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 गवाह परीक्षित हुए हैं। गवाह पीडब्ल्यू 01 प्रदीप है जो हस्तगत प्रकरण में नक्शा मौका का गवाह है तथा उपरोक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा उसने कथन किया है कि उसके सामने घटना का नक्शा मौका नहीं बनाया गया। गवाह पीडब्ल्यू 02 स्वयं परिवादी पवन कुमार है। जिसने दौराने मुख्य परीक्षा अपनी रिपोर्ट में वर्णित कथनों को दोहराया है तथा कथन किया है कि दिनांक 25.11.2023 को विधानसभा चुनाव के दिन शाम के 04.30 बजे वह पवन महाजन की दुकान के पास बैठा था। तभी वहां राजकुमार शर्मा और उसके साथ कुछ लोग चार–पांच गाड़ियां लेकर वहां आये। राजकुमार शर्मा ने उसकी कोलर पकड़ी और उसके चांटा मारा और उसके साथियों ने लात घुसों से मारपीट करी। आगे गवाह ने कथन किया है कि 04–05 गांव वाले वहां पर आये और उसका बीच–बचाव किया। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि रिपोर्ट किसने लिखी उसे नहीं पता। रिपोर्ट दर्ज कराने 04–05 लोग गये थे। रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति साथ जाने वाले व्यक्तियों से अलग था। रिपोर्ट किसने लिखी उसे नहीं पता। पवन महाजन की दुकान पर वह अकेला ही बैठा था। उपरोक्त गवाह ने कथन किया है कि मारपीट से उसके कोई चोट नहीं आयी। इसलिए उसने मेडिकल नहीं करवाया। उस समय 08–10 गांव के लोग वहां पर आये थे। कौन–कौन आये उसे नहीं पता। उपरोक्त गवाह की साक्ष्य का अवलोकन करने व अन्य गवाह के साक्ष्य का अवलोकन करने से यह स्पष्ट रूप से दर्शित है कि हस्तगत प्रकरण में मात्र गवाह पीडब्ल्यू 02 पवन कुमार घटना का मुख्य गवाह है। जिसके स्वयं के साथ घटना घटित हुई। इसके अतिरिक्त अन्य कोई स्वतंत्र गवाह जो हस्तगत प्रकरण में परीक्षित हुए हैं, किसी भी गवाहान ने घटना की ताईद नहीं की है। गवाह पीडब्ल्यू 02 ने दौराने जिरह अपने कथनों में दोहराया है कि 08–10 गांव के लोग वहां पर आये थे, परंतु गवाह उनके नाम बताने में असमर्थ है। सामान्य मानवीय आचरण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने गांव में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के नाम सामान्यतः जानता है, परंतु परिवादी द्वारा इस संबंध में स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है कि उसका बीच–बचाव करने वाले

व्यक्ति कौन थे, उसे नहीं पता। परिवादी का यह कथन भी परिवादी की साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न करता है।

16– गवाह ने दौराने जिरह कथन किया है कि उसके मारपीट से कोई चोट नहीं आयी। जबकि अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 04–05 लोगों ने उसे लात–घुस्सों से मारा व उसको घसीटकर गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया गया परंतु उसके पश्चात भी उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं आना हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह करता है, क्योंकि परिवादी ने स्वयं के साथ घसीटकर मारपीट करना बताया। इसके पश्चात भी परिवादी के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं होना व परिवादी द्वारा अपना मेडिकल नहीं करवाना अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह उत्पन्न करता है।

17– यहां यह तथ्य स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा बतायी गयी घटना विधानसभा चुनाव के दिन की है तथा परिवादी विधानसभा चुनाव के दिन पोलिंग बूथ के पास दुकान पर बैठा था, जो पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूरी पर थी। यहां यह स्पष्ट है कि पोलिंग बूथ के आसपास 04.30 बजे पोलिंग बूथ का स्टाफ, पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति रहती है। इसलिए पोलिंग बूथ के आसपास 04–05 गाड़ियां इस प्रकार से आती हैं तो निस्संदेह पुलिस कर्मचारियों का ध्यान उनकी तरफ जाता तथा विधानसभा चुनाव के दिन एकत्रित होकर एक साथ इतने लोगों का आना भी पुलिस को सतर्कता बरतने पर विवश कर सकता था, जबकि हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं ली गयी है। जिससे यह संदेहास्पद है कि हस्तगत प्रकरण पर अभियुक्तगण 04–05 गाड़ियों के साथ मौके पर आये हों और वारदात की गयी हो। अतः हस्तगत प्रकरण में वर्णित घटना संदेहास्पद प्रतीत होती है।

18– हस्तगत प्रकरण में परिवादी अपनी लिखित रिपोर्ट में कथन करता है कि सुबह के 09 बजे अरूण उसके घर पर आया और राजकुमार शर्मा को वोट देने के लिए धमकी दी। हस्तगत प्रकरण में आगे गवाह कथन करता है कि आसपास के लोगों के समझाने पर अरूण उसके घर से चला गया जबकि गवाह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि गांव के 04–05 लोग उसके घर पर आये और उसका बीच–बचाव किया, परंतु हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा ना तो किसी गांव वालों के बयान अपने प्रकरण में दर्ज करवाए गए और ना ही अपने किसी परिवार के सदस्य के बयान हस्तगत प्रकरण में करवाए गए। परिवादी के अतिरिक्त अन्य किसी स्वतंत्र गवाह से उपरोक्त घटना की पुष्टि नहीं हुई है। इससे परिवादी का यह कथन कि अभियुक्तगण द्वारा उसे धमकी दी गयी। हस्तगत प्रकरण में संदेहास्पद प्रतीत होता है।

19– हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिनांक 28.11.2023 को नक्शा मौका तैयार किया गया, जबकि नक्शा मौका के गवाह पीडब्ल्यू 01 हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा पीडब्ल्यू 03 ने दौराने जिरह कथन किया है कि जिस दिन नक्शा मौका बनाया उस दिन हस्ताक्षर करने के बाद उसने कभी किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए। उपरोक्त दोनों गवाहों की साक्ष्य हस्तगत प्रकरण में घटनास्थल पर नक्शा मौका पर संदेह उत्पन्न करती है तथा अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न करती है। यहां यह भी स्पष्ट है कि गवाह पीडब्ल्यू 02 परिवादी विधानसभा चुनाव वाले दिन पोलिंग बूथ के 200 मीटर के क्षेत्रफल में किसी दुकान पर बैठना बताता है, परंतु अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया कि उपरोक्त पोलिंग बूथ पर परिवादी का वोट था या नहीं, क्योंकि पोलिंग बूथ के क्षेत्रफल में सामान्यतः वही व्यक्ति जा सकते हैं जिनका वोट उपरोक्त पोलिंग बूथ पर लगता हो। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी का कोई अनुंसधान नहीं करना, वहां पर उपस्थित पुलिस कर्मचारी, निर्वाचन अधिकारी व अन्य स्टाफ से किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं करना हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान पर संदेह उत्पन्न करता है। उपरोक्त प्रकरण में परिवादी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है क्योंकि परिवादी द्वारा अपनी रिपोर्ट किससे लिखवायी गयी, उसका बीच–बचाव किन व्यक्तियों द्वारा किया गया, घटना किसके द्वारा देखी गयी। इस संबंध में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है तथा परिवादी की उपस्थित भी उपरोक्त घटनास्थल पर संदेहास्पद है जो अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से संदेहास्पद प्रतीत होती है तथा परिवादी के अतिरिक्त अन्य किसी गवाह ने घटना की संपुष्टि नहीं की है। अतः अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। आपराधिक विधि का यह सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अपना मामला गवाहों की साक्ष्य में भारी विरोधाभास के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। जहां गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास हो और मामले में संदेह उत्पन्न होता हो तो संदेह का लाभ सदैव अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। पत्रावली पर कोई सम्पुष्टिकारक साक्ष्य पेश नहीं हुई है। अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन से अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा–143, 323, 506, 171 सी भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

–आदेश–

20– एतदद्वारा अभियुक्तगण **01. डॉ. राजकुमार शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा, उम्र 50 साल, निवासी बस स्टैण्ड के पास परसरामपुरा, 02. सुरेश गुर्जर पुत्र श्री महावीर प्रसाद**

गुर्जर, उम्र 37 साल, निवासी गुर्जरों की ढाणी परसरामपुरा, 03. मोहम्मद अनवर पुत्र श्री अब्दुल गनी, उम्र 37 साल, 04. दिलीप कुमार पुत्र श्री साधूराम, उम्र 27 साल, निवासीगण परसरामपुरा, जिला झुंझुनूं, राजस्थान, 05. अरूण कुमार पुत्र श्री रामनाथ चाहर, उम्र 32 साल, निवासी चाहरों का बास परसरामपुरा, पुलिस थाना गोठड़ा, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान को अपराध अन्तर्गत धारा–143, 323, 506 , 171 सी भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण की ओर से उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतदद्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किये जाते है।

21– अभियुक्तगण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (क) के उपबंध के अनुसार स्वयं का 10,000 रूपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू 06 माह की अवधि के लिये न्यायालय की संतुष्टि की पेश करे।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनूं (राज०)

22– निर्णय व आदेश आज दिनांक **17–03–2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(सुमन चौधरी)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनूं (राज०)